F.No. NCBC/06/01/543/2021-CP
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
अनुसंधान अनुभाग
सुनवाई के कार्यवृत

1. पूर्ण आयोग द्वारा दिनांक 21.12.2020 को की गई दिल्ली विश्वविधालय के भ्रमण के पश्चात् आयोग द्वारा दिनांक 08.01.2021 को भेजे गये कार्यवृत एवं उन पर दिल्ली विश्वविधालय द्वारा की गई कृत कार्यवाही एवं श्री नवप्रीत कौर, कु. नैना दिमान, श्री विवेक राज, कु. विधि, श्री सार्थक कुमार एवं अन्य द्वारा प्राप्त शिकायत में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण प्रवेश निरस्त जाने के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल साहनी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में दिनाँक 25.01.2021 समय 12: 00 बजे सुनवाई नियत की। सुनवाई में उपस्थित अधिकारीयों एवं कर्मचारियों की सूची **अनुलग्नक 'क'** के रूप में संलग्न है।
2. सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष, सदस्य, सचिव एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित अधिकारियों के मध्य दिनांक 21.12.2020 को हुई बैठक के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 08.01.2021 को भेजे गये कार्यवृत एवं उन पर दिल्ली विश्वविधालय द्वारा की गई कृत कार्यवाही के संबंध में बिन्दुबार विस्तृत चर्चा हुई एवं कुलसचिव, दिल्ली विश्वविधालय के द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई।
3. शिकायतकर्ता श्री विवेक राज ने आयोग को अवगत करवाया की 9 दिसंबर, 2020 की लिस्ट में सेंटर अलोटमेंट सही ढंग से नहीं हुआ है एवं वेबसाइट पर यह दर्शाया गया की मैंने स्वयं ही अपना आवेदन वापस ले लिया है। साथ ही राजनीति विज्ञान एवं हिंदी विभाग में जिन बच्चों का अनारक्षित श्रेणी में चयन हुआ है उनको भी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में ही प्रवेश दिया गया है।

   शिकायतकर्ता श्री विशाल ने आयोग को अवगत करवाया की मेरा नाम सूची में होने के बाद भी मुझे प्रवेश नहीं दिया गया। मैंने डीन मैडम को ईमेल भी किया था परंतु कोई जबाव नहीं मिला एवं दिनांक 09.01.2021 को जब मैं जब विश्वविधालय गया तो उन्होंने बोला कि एक दिन पहले आते तो कुछ हो जाता।
4. श्रीमति वंदना, डीन लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय ने आयोग को अवगत कराया कि चर्तुथ प्रवेश सूची आने पर जितने भी विधार्थी प्रवीण सूची में थे उन सभी को पुनः मौका दिया गया था एवं यह निर्धारित किया गया था की उन सभी में से जो भी ऊपर के विधार्थी हैं उन्हें वरीयता एवं सीट की

उपलब्धता के अनुसार भरा जायेगा ताकि और अधिक विलम्ब न हो एवं समय पर सेमेस्टर प्रारंभ किये जा सकें। राजनीति विज्ञान एवं हिंदी विभाग के बारे में जांच करके आयोग को अवगत करवा दिया जाएगा।

5. समस्त पक्षों पर ध्यान पूर्वक चर्चा होने के पश्चात माननीय अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय से निम्न लिखित अपेक्षाए की

   1. **डॉ. भगवान लाल सहनी, माननीय अध्यक्ष एवं डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य** ने अपेक्षा की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा छात्रावास में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये।
   2. **डॉ. भगवान लाल सहनी, माननीय अध्यक्ष** ने अपेक्षा की है कि पिछले दो वर्षो में कितने विधार्थियों का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में चयन हुआ है एवं कितने अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विधार्थियों का प्रवीण सूची के अनुसार अनारक्षित श्रेणी में चयन हुआ था, इससे सम्बंधित आंकड़े एवं दिल्ली विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभाग और उसके समबन्धित कॉलेजों के विभिन्न श्रेणियों और शाखाओं में विभिन्न श्रेणियों में 2 सालों में कुल प्रवेश पर एक रिपोर्ट 15 दिनों में आयोग को भेजी जाये।
   3. **डॉ. भगवान लाल सहनी, माननीय अध्यक्ष** ने अपेक्षा की है कि यदि विश्वविद्यालय में सीटें अभी भी उपलब्ध हैं तो कट ऑफ की समीक्षा एवं अनारक्षित श्रेणी के अनुपात में गणना करके ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्ग के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया जाय और ओबीसी / एससी / एसटी छात्रों को एक बार मौका दिया जाये।
   4. **डॉ. भगवान लाल सहनी, माननीय अध्यक्ष** ने अपेक्षा की है कि इस वर्ष के ओबीसी छात्रों का रैंक, प्रेफरेंस और आवंटित सीट की एक सूची आयोग के सूचनार्थ दिया जाये।
   5. **डॉ. भगवान लाल सहनी, माननीय अध्यक्ष** ने अपेक्षा की है कि स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज और लक्ष्मीबाई कॉलेज से सम्बंधित मामलों पर की गई कार्यवाई 07 दिनों में आयोग को भेजी जाये।
   6. **सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग** ने अपेक्षा की है कि दिल्ली विश्वविधालय एवं सम्बंधित सभी महाविधालयों के रोस्टर एवं संपर्क अधिकारी से सम्बंधित जानकारी वेबसाइट पर अपलोड़ किये जाने चाहिए। साथ ही, रोस्टर में जो भी परिवर्तन किया जाता है उसे भी वेबसाइट पर अपलोड़ किया जाना चाहिए।
   7. **डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य** ने अनुसंशा की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में adhoc पर कार्यरत कर्मचारियों को अब्सोर्ब किया जाना चाहिए।

8. **डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य** ने अनुसंशा की है कि राजनीति विज्ञान एवं हिंदी विभाग में जिन बच्चों का अनारक्षित श्रेणी में चयन हुआ है उनको भी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में ही प्रवेश दिया गया है।इससे सम्बंधित जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

दिनाँक:

स्थान: नई दिल्ली

8/2/21

(डॉ. सुधा यादव)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(डॉ. भगवान लाल साहनी)
माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

F.No. NCBC/06/01/543/2021-CP

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

अनुलग्नक'क'

बैठक मे उपस्थित अधिकारी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य
3. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
4. श्री आनंद कुमार, सचिव
5. श्री बी. के. पति, निदेशक
6. श्री दिनेश कुमार, निजी सचिव मा. अध्यक्ष
7. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
8. कु. पारुल भारद्वाज, अनुसंधान अन्वेषक
9. श्री राहुल यादव, विधि सलाहकार

आयोग के समक्ष उपस्थित अधिकारीगण :-

1. प्रो. पी. सी. जोशी, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय
2. श्री विकास गुप्ता, कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय
3. श्री सुधीर शर्मा, संयुक्त कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय
4. श्रीमति वंदना, डीन लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय
5. श्रीमति शोभा बगरी, डीन एडमिशन, दिल्ली विश्वविद्यालय
6. श्रीमति वागेश्वरी, कन्वेनर एडमिशन, दिल्ली विश्वविद्यालय

उपस्थित शिकायतकर्ता :-

1. श्री विवेक राज
2. श्री विशाल